न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दौसा

पीठासीन अधिकारी: संजय कुमार गोरा RAS
प्रकरण संख्या: 13/2021
दायर दिनांक: 07.12.2021
निर्णय दिनांक: 29.07.2022

उनवान

1. गोविन्दी पुत्री पांचू पत्नी रामपाल जाति माली निवासी पीलवा तहसील दौसा जिला दौसा हाल निवासी ग्राम सीतापुरा तहसील राजगढ़ जिला अलवर।
2. सुकली पुत्री पांचू पत्नी स्व0 प्रभूनारायण जाति माली निवासी पीलवा हाल नीबूवाली ढाणी भाण्डारेज तहसील दौसा जिला दौसा।
3. धापा पुत्री पांचू पत्नी स्व0 देवाराम जाति माली निवासी पीलवा तहसील दौसा जिला दौसा हाल निवासी गूही तहसील बसवा जिला दौसा।
4. संगारी पुत्री पांचू पत्नी कल्याण प्रसाद जाति माली निवासी पीलवा तहसील दौसा जिला दौसा हाल निवासी गूही तहसील बसवा जिला दौसा।
5. छोटा पुत्री पांचू पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति माली निवासी पीलवा तहसील दौसा जिला दौसा हाल निवासी अस्तल का बास तहसील आंधी जिला जयपुर।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. महादेव पुत्र पांचू जाति माली निवासी पीलवा तहसील दौसा जिला दौसा।
2. रामकिशन पुत्र पांचू जाति माली निवासी पीलवा तहसील दौसा जिला दौसा।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार दौसा।
4. ग्राम पंचायत तीतरवाड़ा कलां तहसील दौसा जरिये सरपंच।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 372 दिनांक 20.08.2007 द्वारा तस्दीक ग्राम पंचायत तीतरवाडा कलां विरासत पांचू।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स की ओर से नामान्तरकरण संख्या 372 दिनांक 20.08.2007 ग्राम पीलवा के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट नंबर 1 व 2 एक संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है तथा सगे भाई बहन है तथा पांचू पुत्र पालू के जाईन्दा पुत्र पुत्रियां हैं। ग्राम पीलवा में खसरा नंबर 878, 879, 1092/1229 कुल क्षेत्रफल 0.95 है0 व खसरा नंबर 154 रकबा 0.18 है0 व खसरा नंबर 869 लगायत 876 कुल किता 8 कुल रकबा 1.78 है0 व खसरा नंबर 295 लगायत 332 व 334 लगायत [illegible] कुल किता [illegible] रकबा 10.65 है0 स्थित है। उक्त भूमि खसरा नंबर 878, 879 व 1092/1229 [illegible] हिस्सा 1/2 व खसरा नंबर 154 में हिस्सा 1/2 व शेष खसरा नंबरान में हिस्सा 1/6 पांचू [illegible] पालू जो अपीलान्ट्स का पिता था, के नाम दर्ज रिकार्ड थी। पांचू पुत्र पालू का [illegible] हो जाने पर रेस्पोडेन्ट नंबर 1 व 2 ने पटवारी हल्का से साजकर के नामान्तरकरण संख्या 372 अपने नाम व मृतक धीसी जो अपीलान्ट की माता थी, के नाम ग्राम पंचायत से तस्दीक करा लिया व

लगातार....2....

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:37:02 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारी दर्ज करा ली। कानूनन अपीलान्ट्स भी पांचू पुत्र पालू की संपत्ति में बराबर की हिस्सेदार व हकदार है तथा उनके नाम भी नामान्तरकरण विरासत का तस्दीक किया जाना चाहिए था। पटवारी हल्का व ग्राम पंचायत ने बिना जांच किये ही चुपचाप में रेस्पोडेन्ट नंबर 1 व 2 से साज करके केवल मात्र उनके नाम व मृतक घीसी के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया है जो कानून विरूद्ध है। उक्त अवैधानिक नामान्तरकरण की अपीलान्ट्स को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि रेस्पोडेन्ट नंबर 1 व 2 ने चुपचाप में नामान्तरकरण तस्दीक कराया है। अब दिनांक 21.11.2021 को रेस्पोडेन्ट नंबर 1 व 2 ने अपीलान्ट्स को ऐलानिया रूप से कहा है कि विवादित भूमि से तुम्हारा कोई लेना–देना नहीं है। इसलिए हम विवादित भूमि के खातेदार है उक्त भूमि दीगर व्यक्तियों को विक्रय करेगे। इस पर अपीलान्ट्स ने दिनांक 22.11.2021 को उक्त अवैधानिक नामान्तरकरण की जानकारी कर नकल का प्रार्थना–पत्र पेश किया, जिसकी नकल दिनांक 24.11.2021 को प्राप्त हुई। इसलिए अब उक्त अवैधानिक नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण संख्या 372 दिनांक 20.08.2007 ग्राम पीलवा द्वारा तस्दीक ग्राम पंचायत तीतरवाडा कलां विरासत निरस्त फरमाते हुए अधिनस्थ तहसीलदार या ग्राम पंचायत को आदेश व निर्देश फरमाया जावे कि पांचू पुत्र पालू मृतक के समस्त वारिसान की विधिवत रूप से जांच कर व अपीलान्ट को पूर्ण सुनवाई व सबूत का मौका देकर पुनः नामान्तरकरण तस्दीक करें। इस हेतु प्रार्थना–पत्र दफा 96 सीपीसी एवं प्रार्थना–पत्र दफा 5 कानून मियाद अलग से पेश किये गये है।

अपील दर्ज की जाकर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। रेस्पोडेन्ट्स की तामील हो चुकी है। रेस्पोडेन्ट्स की तामील हो जाने के बावजूद उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रकरण में बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान अपीलान्ट्स की ओर से अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराया गया तथा नामान्तरकरण संख्या 372 दिनांक 20.08.2007 को खारिज कर रिमाण्ड करने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया। रेस्पोडेन्ट्स की तामील हो जाने के बावजूद उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है, जिससे यह प्रतीत होता है कि उन्हें अपीलान्ट्स की ओर से दायर उक्त अपील के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है। पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों का भी कानूनन हक होता है। नामान्तरकरण संख्या 372 दिनांक 20.08.2007 ग्राम पीलवा में पुत्रियों का नाम दर्ज नही है। अतः नामान्तरकरण संख्या 372 दिनांक 20.08.2007 ग्राम पीलवा को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित है।

अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाती है एवं नामान्तरकरण संख्या 372 दिनांक 20.08.2007 ग्राम पीलवा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उभय पक्षकारान को विधिवत सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जाकर एवं विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति सहित मूल नामान्तरकरण वापस लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया था मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया।

(संजय कुमार गोरा)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 10:37:02 IST
Reason: SelfAttested